कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर (छ.ग.)

/ / विज्ञाप्ति / /

क्रमांक / 235 / स्था. / आई.सी.डी.एस. / 2020–21 जशपुर, दिनांक–07.09.2020

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन के आदेश क्रमांक / 728 / 1098 / 2008 / मबावि / 50, रायपुर दिनांक 02.04.2008 के परिपालन में परियोजना अंतर्गत 06 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं 06 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदपूर्ति हेतु मानसेवी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में **"कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत"** बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर पिन कोड–496331 के पते पर दिनांक–**07.09.2020** से **21.09.2020** संध्या 5:00 बजे तक आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र स्वयं / प्रतिनिधि भेजकर / डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

- **रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–**

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता	06
2	आंगनबाड़ी सहायिका	06

- **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–**

1	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण
2	आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

- **केन्द्र का नाम जहाँ नियुक्ति किया जाना है :–**

क्र.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका	राजस्व ग्राम का नाम / वार्ड का नाम	बसाहट / पारे टोले / आं0ब0 केन्द्र का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ कार्यकर्त्ता / सहायिका नियुक्त किया जाना है।
मिनी कार्यकर्ता हेतु				
1	कोमड़ो	सारूडीह	चौकटोली	मिनी कार्यकर्ता
2	किनकेल	किनकेल	मिनी सरनाटोली	मिनी कार्यकर्ता
3	बालाछापर	बालाछापर	भण्डारटोली	मिनी कार्यकर्ता
4	सिटोंगा	सिटोंगा	टोंगरीपारा	मिनी कार्यकर्ता
5	गम्हरिया	गम्हरिया	दमगड़ा	मिनी कार्यकर्ता
6	गम्हरिया	गम्हरिया	स्कूलटोली	मिनी कार्यकर्ता
आंगनबाड़ी सहायिका हेतु				
1	बघीमा	दासडुमरटोली	दासडुमरटोली	सहायिका
2	पिड़ी	पिड़ी	पिड़ी	सहायिका
3	पुरनानगर	पुरनानगर	पुरनानगर	सहायिका
4	नगरपालीका	वार्ड क्र0–09	चौरसिया कालोनी	सहायिका
5	नगरपालीका	वार्ड क्र0–16	शिवमंदिर पारा	सहायिका
6	बोकी	बिरोपानी	बिरोपानी	सहायिका

- **आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताएँ है :–**

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए / (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका / सह–सहायिका / संगठिका की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।)

2. आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।)

3. निवासी होने के प्रमाण :—

1. ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे
2. ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उप सरपंच अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

4. माध्यमिक शिक्षा मण्डल छ.ग. द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का प्रमाण—पत्र ही मान्य किया जावेगा।

5. कक्षा आठवीं, दसवीं, बारहवीं, का अंकसूची में ग्रेडिंग होने पर आवेदिका की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल के प्रधान पाठक से हस्ताक्षरित अंक तालिका आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदाय नहीं किये जायेंगे।

6. आवेदन पत्र के साथ ही सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। समय अवधि समाप्ति पश्चात् किसी भी प्रमाण—पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

7. गरीबी रेखा परिवार होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सहायक विकास विस्तार अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें।

8. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र ही स्वीकर किये जावेंगे।

9. परित्यक्ता / तलाकशुदा होने की स्थिति में 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय / सामाजिक रूप से प्रदाय प्रमाण—पत्र स्वीकार किये जावेंगे।

10. पति के मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जावे।

11. निवास प्रमाण—पत्र सरपंच व सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर प्रमाण—पत्र ही मान्य किये जावेंगे। (ग्रामीण क्षेत्र में)

12. शहरी क्षेत्र में निवास प्रमाण—पत्र पटवारी / पार्षद का हस्ताक्षर प्रमाण—पत्र ही मान्य किये जावेंगे जिसमें वार्ड क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

13. दावा—आपत्ति में केवल दावा—आपत्ति आवेदन पर विचार किया जावेगा। तत्समय किसी प्रकार के प्रमाण—पत्र स्वीकार या विचार नहीं किये जाएंगे।

14. सहायिका / सह—सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर, विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्रावधान है अतः प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

टीप :— उपरोक्तानुसार शहरी / ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्त्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवी बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर पाँचवी उत्तीर्ण रखी जावेगी। मिनी कार्यकर्त्ता पद में भी उपरोक्तानुसार शैक्षणित योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
जशपुर, जिला—जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक / 235A / स्था. / आई.सी.डी.एस. / 2020–21 जशपुर, दिनांक–0709.2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदया जिला–जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला जन संपर्क अधिकारी, जशपुर कि ओर प्रेषित कर निवेदन किया जाता है कि स्थानीय पेपर में प्रकाशित करने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जशपुर जिला–जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
7. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जशपुर जिला–जशपुर कि ओर सादर सूचनार्थ।
8. जिला एन0आई0सी0 अधिकारी, जशपुर जिला–जशपुर। (जशपुर की शासकीय वेबसाईट में प्रकाशन हेतु)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जशपुर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी जशपुर। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)
11. सर्व पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जशपुर ।(संबंधित ग्राम में मुनादी हेतु)
12. सर्व सरपंच / सचिव विकासखण्ड जशपुर। (चस्पा एवं मुनादी)
13. सर्व संबंधित ग्राम कोटवार। (मुनादी)

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
जशपुर, जिला–जशपुर (छ.ग.)